आवास एवम शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ खलासी लाईन आवास पर प्रस्तावित गुप हाउसिंग परियोजना की T.O.D. पालिसी के अन्तर्गत, स्वीकृति के सम्बन्ध 12 एवम 13 संख्या 7/98, 7/99 सिलक नगर, कानपुर भूखण्ड संख्या 11, 11ए, विषय:--

महोदय,

ř उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी/प्रार्थी के गुप हाउसिंग परियोजना सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उक्त परियोजना के अनुमोदन हेतु मैने दिनांक 13.05.2022 को U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था। के पूर्व से लागू 1.0.D. नीति 04.03.2015 के अन्तर्गत मेरे द्वारा अफ्नी परियोजना आ गया है। परन्तु इसी मध्य उत्तर प्रदेश शासनं के आवास एयम विमाग द्वारा जारी "उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट 24.08.2022 की प्लानिंग करते हुए लगभग 300 करोड़ रूपया निवेश करने हेतु आवेदन किया आनलाईन आवेदित भवन मानवित्र संख्या K.D.A./B.P/22-3.2.2 में निग्नॉकित प्राविधान ऑकिंत कर दिए जाने के कारण मेरे भवन मानवित्र 中配子 ¥ जारी होने के कारण उक्त नीति के प्राधिकरण प्रमाणपत्र दिनांक 10.06.2021 को प्राप्त कर लिया गया था। दिनांक कानपुर विकास प्राधिकरण से उक्त परियोजना को T.O.D. जोन स्कृटनाइज होकर की प्रकिया स्थमित हो गयी है:-मोर्टल से 2022 दिनांक 24.08.2022 23/0182 U.P.O.B.P.A.S. SIN शहरी नियोजन कृपया स्वीकृति हेतु स्वीकृति मुद्धाः 🧎 但行

<u>ज</u>ें ज जोन्स के अन्तर्गत टी.ओ.खी. नीति के संचालन एवम टी.ओ.डी. 到 部 डेवलपमेन्ट प्लान का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा" स्वीकृति के लिए सम्बन्धित टी.ओ.डी. ₽ "टी.ओ.डी. योजना

कानपुर द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार विभिन्न परिस्थिति में मेरे गुप प्राथीं मानसिक रूप से आहत हैं। आनलाईन आवेदित गुप हादसिंग भवन कराने एवम उसे अनुमोदित कराने की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अनुमोदन की प्रकिया वाधित हो जाने के कारण दीपावली के पूर्व योजना के प्रारम्म/लॉब किए जाने की योजना को गहरा घक्का लगा जिस्से मानिषित्र के सम्बन्ध में तिथिवार घटनाकम निम्नवत है:-

The same of the sa

कम संख्या	दिनाक	विवरण
- ·	04.03.2015	उत्तर प्रदेश शास्त्रन के आवास एक्म शहरी नियोजन विभाग द्वारा टी.ओ.डी. हेतु प्कॉनिंग रेगुलेशन, प्लानिंग नाम्स एक्म मवन उपविधि का निर्धारण किया गर्या।
2	18.03.2021	उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त नीति से आकर्षित होकर प्राथीं द्वारा कानपुर नगर में टी.ओ.डी. जोन के अन्तर्गत गुप हाडसिंग प्रोजेक्ट हेतु भूमि कथ किया गया।
crs	10.06,2021	प्राथीं द्वारा अपने भूखण्ड को टी.ओ.डी जोन के अन्तर्गत होने का कानपुर विकास प्राधिकरण से प्रमाणपत्र/पत्र दिनांक 10.06.2021 प्राप्त किया गया।
4	13.05.2022	प्राथी द्वारा अपने मुप हास्तिमंग प्रोजेक्ट हेतु ख्याति प्राप्त वास्तुविद से नियोजन कराते हुए U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन संख्या K.D.A./B.P/22- 23/0182 आवेदित किया गया।
.	16.07.2022	आनलाईन आवेदित मानवित्र पोर्टल से प्री अपूर्वल होकर दिनांक 16.07.2022 को प्राधिकरण स्तर पर परीक्षण एवम अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।
6	24.08.2022	उत्तर प्रदेश आस्मिन द्वारा संशोधित टी.ओ.डी नीति 2022 जारी होने एवम उसके प्रस्तर संख्या 3.2.2 में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत टी.ओ.डी जोन के अनुसार जोनल डेवलपमेन्ट प्लान के अनुमोदन होने तक मानचित्र की स्वीकृति स्थागित है।

अनुमोदन उत्तर प्रदेश के समस्त विचाराधीन के अन्तर्गत टी.ओ.डी नीति के संवालन एवम टी.ओ.डी योजना की स्वीकृति समस्त प्रगतिशील जोनल डेवलपमेन्ट प्लान का पूर्व 16 क द F.A.R. कारत 16 16 लिए सम्बन्धित टी.को.डी जोन के होगा, <u> 라.왜.왜</u> 되구 अपेक्षित ήlυ अनिवार्यरूप से प्रकरण अर्थात् माधित हो रहे

₩ U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल पर कर दिया गया था वह उक्त नीति 24.08.2022 के कम इस पर ट्रिलियन ভ कराना है कि अघोहस्ताक्षरी का अप्रवल द्वारा आनलाईन वाधित हो गया है जो कि एक पालिसी जर्क के समान है। पार्थी सादर अवगत <u>a</u> 13.05,2022 इकोनामी को भी धाक्का लगेगा। ф. दनाक 10 उक्त 乍 ग्रे केर्रण

μĵ 107 107 आवास एवम शहरी U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन संख्या K.D.A/B.P./22-आवेदित गानवित्र पोर्टल से प्री—अपूबल होकर प्राधिकरण स्तर पर परीक्षण एक्म नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 24.08.2022 के पूर्व ही प्रार्थी द्वारा ग्रमाण पत्र.∕पत्र दिनांक के पश्चात् अपने कराते 23/0182 आवेदित कर दिया गया था जो दिनांक 16.07.2022 को नियोजन उपरोक्त के दृष्टिगत चूँकि उत्तर प्रदेश शासन के प्राप्त करने वास्तुविद से अपने मूखण्ड को टी.ओ.डी जोन के अन्तर्गत होने का 10.06.2021 कानुपर विकास प्राधिकरण से प्रोजेक्ट हेतु ख्याति प्राप्त प्रेषित किया गया है के तु अभिम कार्यवाही हाउसिंग

अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित टी ओ डी 2022 दिनांक 24.08.2022 के पहले के प्रकरण जो आवेदित हो गये में फ़काबट विकास सही दिशा में हो सके और अनावश्यक समय, धन व प्रगति न हो और इस सम्बन्ध में अवश्यक निर्देश पारित किया जाए।

सादर निवेदित,

(महेश चन्द्र जैन) पार्टनर पलोमा रियलस्टी एलएलपी, 60 / 52, नयागेज, कानपुर—208001

आवास एवम शहरा ानकाणन विमाग उत्तर प्रदेश शासन लखनक खलासी लाईन आवास प्रस्तावित गुप हाससिंग सम्बन्ध में. परियोजना की T.O.D. पालिसी के अन्तर्गत, स्वीकृति के कानपुर पर विषयः – भूखण्ड सच्या 11, 11ए, 12 एवम 13 संख्या 7/98, 7/99 तिलक नगर,

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अद्योहस्ताक्षरी/प्रार्थी के गुप हादसिंग परियोजना के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उक्त परियोजना के अनुमोदन हेतु भैने कानपुर विकास प्राधिकरण से उक्त परियोजना को T.O.D. जोन में होने का 23/0182 U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल से स्कुटनाइज होकर प्राधिकरण स्तर पर दिनांक 13.05.2022 को U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था। प्रमाणपत्र दिनांक 10.06.2021 को प्राप्त कर लिया गया था। दिनांक 24.08.2022 के पूर्व से लागू T.O.D. नीति 04.03.2015 के अन्तर्गत मेरे द्वारा अपनी परियोजना की प्लामिंग करते हुए लगमग 300 करोड़ रूपया निवेश करने हेतु आवेदन किया द्वारा आनंलाईन आवेदित भवन मानचित्र संख्या K.D.A./B.P/22-स्वीकृति हेतु आ गया है। पर॰तु इसी मध्य उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवम शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी "उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट 2022 दिनांक 24.08.2022 जारी होने के कारण उक्त नीति के प्रस्तर में निम्नोंकित प्राविधान आँकित कर दिए जाने के कारण भेरे भवन मानवित्र स्वीकृति की प्रकिया स्थागित हो गयी है:-गया। मेरे 3.2.2 4

जोन्स के अन्तर्गत टी.ओ.डी. नीति के संचालन एवम टी.ओ.डी. जानल डेवलपमेन्ट प्लान का पूर्व अनुमोदन अनिवार्थ रूप से अपेक्षित होगा?" योजना की स्वीकृति के लिए सम्बन्धित टी.ओ.डी. जोन "ते.अ.को

भवन कराने एवम उसे अनुमोदित कराने की कार्यवाही सत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अनुमोदन की प्रक्रिया वाधित हो जाने के कारण दीपावृत्सी के पूर्व योजना के प्रारम्भ/लॉच किए जाने की योजना को गहरा धक्का लगा जिससे कानपुर द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार विभित परिस्थिति में मेरे प्राथीं मानसिक रूप से आहत है। आनलाईन आवेदित गुप हाउसिंग मानवित्र के सम्बन्ध में तिथिवार घटनाकम निम्नवत है:-

विवरण	उत्तर ग्रदेश शासन के आवास एवम शहरी नियोजन विमाग द्वारा टी.ओ.डी हेतु जोनिंग रेगुलेशन, प्लानिंग नाम्से एवम मवन उपविधि का निर्धारण किया गया।	उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त नीति से आकर्षित होकर प्राथी द्वारा कानपुर नगर में टी.ओ.डी. जोन के अन्तर्गत गुप हार्डासेंग प्रोजेक्ट हेतु भूमि कय किया गया।	प्रार्थी द्वारा अपने भूखण्ड को टी.ओ.डी जोन के अन्तर्भत होने का कानपुर विकास प्राधिकरण से प्रमाणपत्र/पत्र दिनांक 10,06.2021 प्राप्त किया गया।	प्राथी द्वारा अपने गुप हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु ख्याति प्राप्त वास्तुविद से नियोजन कराते हुए U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन संख्या K.D.A./B.P/22- 23/0182 आवेदित किया गया।	आनंताईन आवेदित मानवित्र पोर्टल से प्री अपूवल होकर दिनांक 16.07.2022 को प्राधिकरण स्तर पर परीक्षण एवम अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित टी.ओ.डी नीति 2022 जारी होने एवम उसके प्रस्तर संख्या 3.2.2 में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत टी.ओ.डी जोन के अनुसार जोनल डेवलपमेन्ट प्लान के अनुमोदन होने तक मानचित्र की स्वीकृति स्थिगित है।
दिनांक	04.03.2015	18.03.2021	10.06.2021	13.05.2022	16.07.2022	24.08.2022
कम संख्या		2	က ်	4	r.	G

के अन्तर्गत टी.ओ.डी नीति के संघालन एवम टी.ओ.डी योजना की स्वीकृति के विवासाधीन का पूर्व अनुमोदन ሽቀላወ प्रयतिशील समस्त जोनल डेवलपमेन्ट प्लान के कारण उत्तर प्रदेश के F.A.R. कय के समस्त 16 सम्बन्धित टी.ओ.डी जोन के अपेक्षित होगा, टी.आं.क जान 彻 अग्विवार्यरूप से प्रकरण अर्थात् 15 नाधित हो हिं

₽ U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल पर कर दिया गया था वह उक्त नीति 24.08.2022 के कम इस पर ट्रिलियन 6 अप्रवल सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी प्रार्थी. द्वारा आनलाईन के समान है। में वाधित हो गया है जो कि एक पालिसी जर्क 13.05.2022 南 इकोनामी को मी धक्का लेगेगा। कम मं देनांक 16 **अ**क्त Ŧ In>ነው

उपरोक्त के दृष्टिगत चूँकि उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवम शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 24.08.2022 के पूर्व ही प्रार्थी द्वारा 100 100 अपने भूखण्ड को टी.औ.डी जोंन के अन्तर्गत होने का प्रमाण पत्र/पत्र दिनांक के पश्चात् अवने गुप U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन संख्या K.D.A/B.P./22-आनलाइन आवेदित मानवित्र पोर्टल से ग्री—अप्रूवल होकर ग्राधिकरण स्तर पर परीक्षण एवम कराते 23/0182 आवेदित कर दिया गया था जो दिनांक 16.07.2022 को नियोजन 10.06.2021 कानुपर विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने प्राप्त वास्तुविद से अभिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। ख्याति प्रोजेक्ट हेतु हाउसिंग

अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित टी.ओ.सी 쇖 आवेदित हो गर्ध नीति 2022 दिनांक 24.08.2022 के पहले के प्रकरण जो

में राकावट विकास सही दिशा में हो सके और अनावश्यक समय, धन व प्रगति न हो और इस सम्बन्ध में अवश्यक निर्देश पारित किया जाए

सादर निवेदित,

प्राथी

(महेश चन्द्र जैन) पार्टनर पलोमा रियलदी एलएलपी, 60 / 52, नयागंज, कानपुर-208001

खलासी लाईन आवास पर प्रस्तावित गुप हासिंस रवीकृति के सम्बन्ध भूखण्ड संख्या 11, 11ए, 12 एवम 13 कानपुर परियोजना की 1.0.0. पालिसी के अन्तर्गत, तिलक नगर, 98, 7 / 99 संख्या 7/ विषय:-

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी/प्रार्थी के भूप हार्जसिंग परियोजना सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उक्त परियोजना के अनुमोदन हेतु भैने दिनांक 13.05.2022 को U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था। प्रमाणपत्र दिनांक 10.06.2021 को प्राप्त कर लिया गया था। दिनांक 24.08.2022 के पूर्व से लागू T.O.D. नीति 04.03.2015 के अन्तर्गत मेरे द्वारा अपनी परियोजना की प्लानिंग करते हुए लगमगं 300 करोड़ रूपया निवेश करने हेतु आवेदन किया द्वारा आनलाईन आवेदित भवन मानवित्र संख्या K.D.A./B.P/22-स्तर प्र आवास स्वम शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी "उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट औरिएन्टेड डेबेलफ्मेन्ट दिनांक 24.08.2022 जारी होने के कारण उक्त नीति के ग्रस्तर 3.2.2 में निम्नोंकिंत प्राविधान अंकित कर दिए जाने के कारण भेरे भवन मानचित्र कानपुर विकास प्राधिकरण से उक्त परियोजना को T.O.D. जोन में होने 23/0182 U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल सें स्कृटनाइज होकर प्राधिकरण रनीकृति हेतु आ गया है। परन्तु इसी मध्य उत्तर प्रदेश शासन के के स्वीकृति की प्रक्रिया स्थापित हो गयी है. 2022 गया। मुर

जोगल जोन्स के अन्तर्गत टी.ओ.डी. नीति के संचालन एवम टी.ओ.डी. डेवलयमेन्ट प्लान का पूर्व अनुमोदन अनिकार्य रूपं से अपेक्षित होगा" नान क स्वीकृति के लिए सम्बन्धित टी.ओ.डी. योजना की ''ते.आं.की.

हाउसिंग प्रोजेक्ट के अनुमोदन की प्रकिया वाधित हो जाने के कारण दीपावली के पूर्व योजना के प्रारम्भ/लॉच किए जाने की योजना को गहरा धक्का लगा जिससे प्रार्थी मानसिक रूप से आहत है। आनलाईन आवेदित गुप हाउसिंग भवन कानपुर द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार वर्णित परिस्थिति में मेरे मानवित्र के सम्बन्ध में तिथिवार घटनाकेंम निम्नवंत हैं...

ERVELLK.

संख्या	दिनांक	विवरण
-	04.03.2015	उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवम शहरी नियोजन विभाग द्वारा टी.ओ.डी. हेतु जोनिंग रेगुलेशन, प्लानिंग नाम्से एवम भवन उपविद्यि का निर्धारण किया गया।
2	18.03.2021	उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त नीति से आंकर्षित होकर प्राथीं द्वारा कानपुर नगर में टी.ओ.डी. जोन के अन्तर्गत गुप हाजसिंग प्रोजेक्ट हेतु भूभि कय किया गया।
en	10.06.2021	प्राथीं द्वारा अपने मूखण्ड को टी.ओ.डी जोन के अन्तर्गत होने का कानपुर विकास प्राधिकरण से प्रमाणपत्र/पत्र दिनांक 10.06.2021 प्राप्त किया गया।
4	13.05.2022	प्रार्थी द्वारा अपने गुप हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु ख्याति प्राप्त वास्तुविद से नियोजन कराते हुए U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन संख्या K.D.A./B.P/22- 23/0182 आवेदित किया गया।
-C	16.07.2022	आगलाईन आवेदित मानवित्र पोर्टल से प्री अप्रुवल होकर दिनांक 16.07.2022 को प्राधिकरण स्तर पर परीक्षण एवम अभिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।
φ	24.08.2022	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित टी.ओ.डी नीति 2022 जारी होने एवम उसके प्रस्तर संख्या 3.2.2 में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत टी.ओ.डी जोन के अनुसार जोनल डेवलमनेन्ट प्लान के अनुमोदन होने तक मानवित्र की स्वीकृति स्थागित है।

समस्त विचाराधीन के अन्तर्गत टी.ओ.डी नीति के संचालन एवम टी.ओ.डी योजना की स्वीकृति प्रगतिशील का पूर्व लिए सम्बन्धित टी.ओ.डी जोन के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान उत्तर प्रदेश के के समस्त के दा के F.A.R. अनिवार्यरूप से अपिक्षित होगा, के कारण प्रकरण अर्थात् टी.ओ.डी जोन 豼 वाधित हो रहे

के कम में सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी का भी 10 U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल पर कर दिया गया था वह उक्त नीति 24.08.2022 के कम इस पर दिलियन द्वारा आनलाईन अप्रूवल हो गया है जो कि एक पालिसी जर्क के समान है। प्रार्थी जो दिनांक 13.05.2022 को इकोनामी को मी धक्का लगेगा। उक्त में वाधित 计存代

उपरोक्त के दृष्टिगत चूँकि उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवम शहरी प्रमाण पत्र/पत्र दिनांक 10.06.2021 कानुपर विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने के पश्चात् अपने गुष 岛 नियोजन विभाग द्वारा जारी शासमादेश दिनांक 24.08.2022 के पूर्व ही प्रार्थी द्वारा U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम हो आनलाईन आवेदन संख्या K.D.A/B.P./22-आवेदित मानवित्र पोर्टल से प्री–अप्रूबल होकर प्राधिकरण स्तर पर परीक्षण एवम हाडसिंग प्रोजेक्ट हेतु ख्याति प्राप्त वास्तुविद से नियोजन कराते 23/0182 आवेदित कर दिया गया था जो दिनांक 16,07,2022 को अपने मूखण्ड को टी.ओ.डी जोन के अन्तर्गत होने का अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित दी.ओ.डी नीति 2022 दिनांक 24.08.2022 के पहले के प्रकरण जो आवेदित हो गये थे और पोर्टल द्वारा पास हो चुके थे, उनको न रोका जाये ताकि उत्तर प्रदेश का विकास सही दिशा में हो सके और अनावश्यक समय, धन व प्रमित न हो और इस सम्बन्ध में अवश्यक निर्देश पारित किया जाए।

सादर निवेदित,

पाञी

(महेश चन्द्र जैन) पार्टनर पलोमा रियलटी एलएलपी, 60/52, नयागंज, कानपुर—208001